भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4482

दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए सार्वभौमिक मानक

4482. श्री आदित्य यादव:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि देश को सभी प्रकार की ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए एक सार्वभौमिक मानक की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि भंडारण प्रमाणन एजेंसियों की स्थापना करने तक उसे तीसरे पक्ष द्वारा परीक्षण और प्रमाणन को अधिकृत करना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (ईएसएस) के लिए वर्तमान में कनेक्टिविटी, निर्माण और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मानक लागू हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानकों को अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्त, सीईए ने पंप भंडारण संयंत्र को कवर करने वाले निर्माण मानकों को निर्दिष्ट किया है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने शब्दावली, परीक्षण विधियों, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी पहलुओं को कवर करने वाले मानक प्रकाशित किए हैं।

(ग) और (घ) : केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) सहित विभिन्न सरकारी परीक्षण एजेंसियां सेल, बैटरी और बैटरी पैक के लिए तीसरे पक्ष द्वारा प्रमाणन आयोजित करती हैं।

सरकारी एजेंसियों के अलावा, गैर-सरकारी परीक्षण एजेंसियां भी एनएबीएल (नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज) मान्यता और बीआईएस से अनुमोदन के बाद यदि आवश्यक हो परीक्षण और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पात्र हैं।

****